

भारत का राजपत्र

The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505] नई दिल्ली, बुधवार मार्च 6, 2013/फाल्गुन 15, 1934
No. 505] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2013/PHALGUNA 15, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
(कागज अनुभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2013

का.आ. 543(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश को न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2013 कहा जाए।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

- न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में :—
(1) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित घद 4 में, क्रम सं. 116 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के परचात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“117 मैसर्स बजाज कागज लिमिटेड जमुका, 112, उन्नाव-209801, उत्तर प्रदेश राज्य”।

[फा. सं. 4(11)/2012-पेपर]

तल्लीन कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 के आदेश सं. का.आ. 2425(अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

926 GI/2013

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy & Promotion)
(Paper Section)
ORDER

New Delhi, the 5th March, 2013

S.O. 543(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely :—

- (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2013.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule :—

(1) In item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, after Sl. No. 116 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

“117. M/s. Bajaj Kagaj Limited, 112 Zamuka, Unnao-209801 (Uttar Pradesh).”

[F. No. 4(11)/2012-Paper]

TALLEEN KUMAR, Jt. Secy.

Note :—The Principal Order was published in the Gazette of India vide No. S.O. 1105(E), dated 11th October, 2004 and subsequently amended vide Order No. S.O. 2425(E), dated 8th October, 2012 published in the Gazette of India.